भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 545
03 फरवरी, 2026 को उत्तरार्थ

विषय: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थी

545. श्री नरेश चंद्र उत्तम पटेलः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से फतेहपुर जिले में कुल कितने किसान लाभान्वित हुए हैं;

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत कितने पात्र किसानों को अभी तक भी लाभ प्राप्त नहीं हुए हैं; और

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत उक्त शेष किसानों को शामिल करने के लिए तैयार की गई समयबद्ध कार्य योजना का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): पीएम-किसान योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसका शुभारंभ फरवरी 2019 में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा कृषि योग्य भूमि वाले किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं पूरा करने के लिए किया गया था। इस योजना के तहत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से किसानों के आधार से जुड़े बैंक खातों में तीन समान किस्तों में 6,000/- रुपए प्रति वर्ष का वित्तीय लाभ अंतरित किया जाता है। पीएम-किसान योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए कृषि योग्य भूमि का होना प्राथमिक पात्रता मानदंड है, जो उच्च आर्थिक स्थिति से संबंधित कुछ अपवर्जनों के अधीन हैं।

किसान-केंद्रित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ने यह सुनिश्चित किया है कि योजना का लाभ देश भर के सभी किसानों को बिना किसी बिचौलिए के हस्तक्षेप के प्राप्त हो। लाभार्थियों के पंजीकरण और सत्यापन में पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखते हुए, भारत सरकार ने योजना के आरंभ से अब तक 21 किस्तों में ₹4.09 लाख करोड़ से अधिक का वितरण किया है। पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान फतेहपुर जिले में लाभान्वित किसानों का किस्तवार विवरण इस प्रकार है:

किस्त सं.	किस्त अवधि	लाभार्थियों की संख्या	वितरित राशि (रुपये करोड़ में)
11वीं	वित्त वर्ष 2022-2023 (अप्रैल-जुलाई)	3,41,189	71.50
12वीं	वित्त वर्ष 2022-2023 (अगस्त-नवंबर)	2,35,422	48.22
13वां	वित्त वर्ष 2022-2023 (दिसंबर-मार्च)	2,31,236	49.93
14वां	वित्त वर्ष 2023-2024 (अप्रैल-जुलाई)	2,47,317	56.66
15वां	वित्त वर्ष 2023-2024 (अगस्त-नवंबर)	2,49,150	59.31
16वां	वित्त वर्ष 2023-2024 (दिसंबर-मार्च)	2,79,649	76.97
17वां	वित्त वर्ष 2024-2025 (अप्रैल-जुलाई)	2,93,130	66.36
18वां	वित्त वर्ष 2024-2025 (अगस्त-नवंबर)	3,07,429	67.78
19वां	वित्त वर्ष 2024-2025 (दिसंबर-मार्च)	3,28,319	78.61
20 वां	वित्त वर्ष 2025-2026 (अप्रैल-जुलाई)	3,21,433	64.29
21वां	वित्त वर्ष 2025-2026 (अगस्त-नवंबर)	3,07,371	61.47

(ख) एवं (ग): पीएम-किसान एक पात्रता आधारित योजना है और प्रत्येक पात्र किसान इस योजना का लाभ प्राप्त करने का हकदार है। पीएम-किसान योजना के तहत, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों की पहचान और सत्यापन करने तथा पात्र किसानों के डेटा को अपलोड करने का दायित्व सौंपा गया है, जिसमें भूमि अभिलेख, उनके बैंक खातों के साथ आधार का लिंक और लाभों के सफल अंतरण के लिए ई-केवाईसी शामिल हैं। इस योजना के अंतर्गत किसानों का पंजीकरण और उनका सत्यापन एक सतत प्रक्रिया है। किसान पीएम-किसान पोर्टल और सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) के माध्यम से अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। सभी आवेदनों को उचित सत्यापन के बाद संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अनुमोदित किया जाता है। राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अनुमोदन प्राप्त होने के बाद, विभाग द्वारा लाभ की प्रक्रिया तुरंत आरंभ की जाती है और इसे अगली किस्त में जारी किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, योजना का दायरा बढ़ाने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी पात्र किसान इससे वंचित न रह जाए, भारत सरकार समय-समय पर राज्य सरकारों के समन्वय से सैचरेशन अभियान चलाती है। विकसित भारत संकल्प यात्रा (वीबीएसवाई) के अंतर्गत 15 नवंबर 2023 से एक बड़ा राष्ट्रव्यापी सैचरेशन अभियान चलाया गया, जिसके दौरान पीएम-किसान योजना में 1 करोड़ से अधिक किसानों को शामिल किया गया। इसके अतिरिक्त, नई सरकार की 100 दिनों की पहल के तहत, पीएम-किसान योजना में 25 लाख से अधिक पात्र किसानों को जोड़ा गया। साथ ही, लंबित स्व-पंजीकरण मामलों को निपटाने के लिए सितंबर 2024 में एक विशेष अभियान चलाया गया, जिसके परिणामस्वरूप 30 लाख से अधिक नए किसान योजना से जुड़े।
